



**. भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार**  
**(REAL ESTATE REGULATORY AUTHORITY, BIHAR)**  
तीसरा, चौथा एवं छठा तल्ला, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, मुख्यालय भवन, परिसर  
शास्त्रीनगर, पटना—800023  
न्यायालय, न्याय निर्णयक अधिकारी, भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना

वाद संख्या: रेरा०/सी०सी०/५१/२०२४  
रेरा०/ए०ओ०/०७/२०२४

प्रीति कुमारी, पति— श्री इन्द्रजीत कुमार —————परिवादिनी  
बनाम  
मेसर्स अग्रणी होम्स प्राईवेट लिमिटेड —————प्रतिउत्तरदाता

परियोजना: “आई०ओ०बी० नगर— सरारी, दानापुर”

आदेश

**०१-१०-२०२४**

१— यह परिवाद पत्र परिवादिनी, प्रीति कुमारी द्वारा प्रतिउत्तरदाता, मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा० लि०, द्वारा निदेशक, श्री आलोक कुमार के विरुद्ध भू—संपदा (विनियामक एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 31 संग पठित धारा 71 के अन्तर्गत प्रतिपूर्ति हेतु संरिथ्त किया गया है।

२— परिवादिनी का संक्षिप्त वाद यह है कि परिवादिनी, प्रीति कुमारी, पति— श्री इन्द्रजीत कुमार ने प्रतिउत्तरदाता मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा० लि० की प्रस्तावित परियोजना “आई०ओ०बी०नगर— सरारी, दानापुर” मे बहुमंजिला भवन के ब्लौक ‘क्यू०’ के द्वितीय तल पर उत्तर—पूर्व तरफ कोने का, 1300 वर्गफीट क्षेत्रफल का एक प्लैट कुल अंकन—17,52,530/- रुपया प्रतिफल में दिनांक 12-09-2014 बुकिंग कराया, जिसके विरुद्ध परिवादिनी ने कुल 15,46,350/- रुपया का विभिन्न चेकों एवं आर००टी०जी०एस० के माध्यम से भुगतान किया। प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने दिनांक 12-09-2014 को एम०ओ०यू० विलेख का निष्पादन किया जिसके कांडिका (5) में कथन किया कि प्रस्तावित इमारत का निर्माण कार्य नवशा स्वीकृति से 6 माह के कृपाकाल के साथ 36 माह के अन्तर्गत पूर्ण कर दी जायेगी, किन्तु प्रतिउत्तरदाता कम्पनी नियत अवधि में कथित इमारत का निर्माण कार्य करने में असफल रही। ऐसी स्थिति में परिवादिनी ने दिनांक ०९-०८-२०१६ के पत्र के माध्यम से अपनी बुकिंग को निरस्त कर अपनी मूल धनराशि वापस करने का प्रतिउत्तरदाता कम्पनी से अनुरोध किया, किन्तु प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने परिवादिनी की जमा धनराशि वापस नहीं की। परिवादिनी ने पुनः दिनांक 28-04-2017 को मूलधन राशि व्याज सहित वापसी हेतु विधिक नोटिस निर्गत किया। प्रतिउत्तरदाता ने दिनांक 29-09-2018 तक 7,75,000/- रुपया वापस कर दिया, किन्तु शेष धनराशि तथा व्याज वापस नहीं किया। तत्पश्चात् परिवादिनी ने भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना में परिवाद वाद संख्या—रेरा०/सी०सी०/४४८/२०२२ दाखिल कर अपनी जमा धनराशि व्याज सहित प्रतिउत्तरदाता कम्पनी से वापस दिलाने हेतु संरिथ्त किया, किन्तु प्रतिउत्तरदाता न तो उपस्थित हुए, न, ही अपना प्रतिउत्तर—पत्र दाखिल किया। परिवादिनी की ओर से कहा गया कि प्रतिउत्तरदाता के द्वारा अंकन 7,75,000/-रुपया परिवादिनी को वापस की जा चुकी है। जमा प्रतिफल में से कुल शेष धनराशि 7,71,350/- रुपया

प्रतिउत्तरदाता कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाना बाकी है। दिनांक 09–05–2023 को प्राधिकरण द्वारा परिवादिनी के शेष मूल धनराशि के साथ कुल जमा प्रतिफल धनराशि पर एस0बी0आई के तीन वर्षों के दौरान एम0सी0एल0आर0 की देय ब्याज की दर पर दो प्रतिशत जोड़कर बुकिंग तिथि से भुगतान की तिथि तक के ब्याज का भुगतान करने का आदेश पारित किया, किन्तु प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने उक्त आदेश का भी अनुपालन आजतक नहीं किया। तत्पश्चात् परिवादिनी ने प्रस्तुत परिवाद पत्र दाखिल कर 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपया प्रतिपूर्ति एवं 50,000/- (पचास हजार) रुपया वाद व्यय शुल्क प्रतिउत्तरदाता से दिलाने का दावा किया है।

3— परिवादिनी ने अपने परिवाद पत्र के समर्थन में प्रतिउत्तरदाता द्वारा भुगतान प्राप्त कर निर्गत रसीदें, एम0ओ0यू० विलेख दिनांक 12–09–2014 की प्रति एवं पंजीकरण निरस्त कर धन वापसी हेतु निर्गत पत्र तथा विधिक नोटिस की प्रति तथा परिवाद वाद संख्या—रेरा०/सी०सी०/448/2022 में पारित आदेश दिनांक 09–05–2023 की सत्यापित प्रति दाखिल की है।

4—उभयपक्षों को उपस्थिति हेतु ई—मेल एवं नोटिस निर्गत किया गया। परिवादिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता, श्री रविन्द्र प्रसाद उपस्थित हुए, किन्तु प्रतिउत्तरदाता की आर से न, तो उनके अधिवक्ता, न, ही उनके प्रतिनिधि उपस्थित हुए और न, ही कोई प्रतिउत्तर—पत्र ही दाखिल किया गया। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत वाद में एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

### 5— परिवादिनी की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना।

अभिलेख पर प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने से विदित होता है कि परिवादिनी ने प्रतिउत्तरदाता कम्पनी की प्रस्तावित परियोजना “आइ0ओ0बी0नगर—सरारी, दानापुर” के ब्लौक ‘क्यू०’ में एक 1300 वर्गफीट का फ्लैट कुल प्रतिफल अंकन 17,52,530/- में दिनांक 12–09–2014 को बुकिंग करायी थी तथा परिवादिनी ने जिसके विरुद्ध अंकन 15,46,350/- का भुगतान दिनांक 14–09–2014 को कर दिया। प्रतिउत्तरदाता ने एम0ओ0यू० विलेख निष्पादित किया जिसके अनुसार कथित परियोजना का निर्माण कार्य 36 माह में पूर्ण हो जाना था, किन्तु प्रतिउत्तरदाता ने इसे नियत अवधि में पूर्ण नहीं किया। परिवादिनी ने दिनांक 09–08–2016 को अपनी बुकिंग निरस्त कर मूल धनराशि ब्याज सहित वापस करने के लिए प्रतिउत्तरदाता को पत्र निर्गत किया। वापस नहीं करने पर पुनः दिनांक 28–04–2017 को विधिक नोटिस दिया। तत्पश्चात् प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने दिनांक 29–09–2018 तक 7,75,000/- रुपया वापस कर दिया, किन्तु शेष जमा धनराशि एवं ब्याज वापस नहीं करने पर परिवादिनी ने परेशान होकर भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण, बिहार, पटना में परिवाद वाद संख्या—रेरा०/सी०सी०/448/2022 दाखिल किया। प्राधिकरण द्वारा दिनांक 09–05–2023 को पारित आदेश के अनुसार, परिवादिनी का शेष धनराशि तथा पूर्ण धनराशि पर ब्याज के साथ वापस करने का आदेश दिया, किन्तु इस आदेश का भी अनुपालन प्रतिउत्तरदाता ने आजतक नहीं किया। अतः अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों से प्रमाणित होता है कि प्रतिउत्तरदाता ने परिवादिनी से प्राप्त धनराशि का दिनांक 12–09–2014 से आजतक अपने कार्यों में दुरुपयोग कर सदोष लाभ अर्जित किया जिसमें मात्र 7,75,000/- रुपया ही वापस किया है तथा 7,71,350/- की धनराशि अभी भी बाकी है जिससे परिवादिनी को सदोष आर्थिक एवं मानसिक हानि उठानी पड़ रही है साथ ही वाद व्यय शुल्क भी वहन करना पड़ रहा है। अतः प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने एम0ओ0यू० विलेख के उपबन्धों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया है तथा भू—सम्पदा (विनियामक एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 18(3) के अन्तर्गत प्रतिउत्तरदाता कम्पनी, परिवादिनी को कारित आर्थिक एवं मानसिक क्षति की प्रतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। अतः परिवादिनी का वाद पोषणीय है।

- (i) अब मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि परिवादिनी संप्रवर्तक से कितनी धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने की अधिकारी है?

6— अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित है कि प्रतिउत्तरदाता कम्पनी ने परिवादिनी से प्राप्त धनराशि का अपने कार्यों में दुरुपयोग कर स्वयं सदोष लाभ अर्जित कर परिवादिनी को सदोष आर्थिक एवं मानसिक क्षति कारित की है तथा नौ वर्षों से अधिक समय से आर्थिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः प्रस्तुत वाद की परिस्थिति के आलोक में मेरे विचार से परिवादिनी को आर्थिक एवं मानसिक प्रताड़ना की क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु अंकन 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपया प्रतिपूर्ति धनराशि तथा वाद व्यय शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु 50,000/- (पचास हजार) रुपया, कुल— 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार) रुपया की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में दिलाया जाना युक्तियुक्त, पर्याप्त एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

### आदेश

7— अतः परिणामस्वरूप, प्रतिउत्तरदाता कम्पनी, द्वारा निदेशक को आदेशित किया जाता है कि अंकन 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपया प्रतिपूर्ति धनराशि तथा 50,000/- (पचास हजार) वाद व्यय शुल्क, कुल 5,50,000/- (पाँच लाख पचास हजार) रुपया की प्रतिपूर्ति धनराशि परिवादिनी को, इस आदेश की तिथि से 60 दिनों के अन्दर भुगतान करें। प्रतिउत्तरदाता द्वारा निश्चित अवधि में उपर्युक्त धनराशि का भुगतान न किये जाने पर, परिवादिनी विधिक प्रक्रिया अनुसार आदेश का निष्पादन कराने की अधिकारी होगी।

अतः परिणम स्वरूप परिवादिनी का परिवाद-पत्र स्वीकृत कर, तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

ह०/-

न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू—सम्पदा विनियामक प्राधिकरण  
बिहार, पटना